तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
[illegible]	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रतिवादीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादीगण [illegible] के बहस सुनी गयी। आदेश अलग से लिखाया जाकर [illegible] न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधि[illegible]
गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 61 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. खंगारा पुत्र पैलाद
2. रूपा पत्नि पैलाद
3. हमीरापुत्र पैलाद
4. हीरा पुत्र पैलाद
   जाति रबारी निवासी गान्धव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत
2. गैरापत्नी मोडा पिता सोना
3. मानी पत्नी उदा पुत्री सोना जाति रबारी
4. चूनीदेवी पत्नी जालाराम
5. दिनेशकुमार पुत्र जालाराम
6. भगवानाराम पुत्र जालाराम
7. मथरोदेवी पत्नी जालाराम
8. सोहनलाल पुत्र सोनाराम जाति नाई
9. गणपतसिंह पुत्र भूरा
10. धनसिंह पुत्र भूरा
11. हरीसिंह पुत्र भूरा जाति दरोगा
    निवासी गान्धव खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
13. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.07.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:07:30 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के अधिवक[illegible]लूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अव[illegible] किया। [illegible] प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2073–2076 ज[illegible] 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा गांधव खुर्द के खेत खसरा नम्बर 488 / 155 रकबा 0.4775 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं

उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी